

पुलिस आदेश सं० 265 /98

विषय :- जिला आरक्षी अधीक्षकों द्वारा देय मासिक अपराध समीक्षा का प्रपत्र ।

पुलिस आदेश संख्या - 246/94 द्वारा अरक्षी अधीक्षकों के स्तर से समर्पित की जाने वाली मासिक अपराध समीक्षा का प्रपत्र निर्धारित किया गया है जिसके खण्ड 'ख' में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मासिक अपराध आंकड़े भेजे जाने हैं ।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रपत्रों को संशोधित कर दिया गया है ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पुलिस आदेश संख्या 246/94 द्वारा निर्धारित मासिक अपराध समीक्षा के खण्ड 'ख' में निम्नांकित संशोधन किए जाते हैं :-

- (क) मासिक अपराध आंकड़े के पूर्व निर्धारित प्रपत्र से स्वचालित वाहनों की चोरी का प्रपत्र विलोपित किया जाता है ।
(ख) मासिक अपराध आंकड़े के पूर्व निर्धारित प्रपत्र से नियमित आग्नेयास्त्रों की चोरी की मासिक विवरणी को विलोपित किया जाता है ।
(ग) मासिक अपराध आंकड़े में निम्नांकित नए प्रपत्र समायोजित किए जाते हैं :-

- (1) मोटर वाहनों की चोरी/बरामदगी का मासिक आंकड़ा ।
- (2) आग्नेयास्त्रों की चोरी से संबंधित मासिक आंकड़े ।
- (3) आग्नेयास्त्रों की बरामदगी के मासिक आंकड़े ।
- (4) अवैध आग्नेयास्त्र बनाने वाली इकाइयों के उद्भेदन से संबंधित मासिक आंकड़े ।
- (5) विदेशी नागरिकों/अप्रवासी भारतीयों की हत्या के काण्डों की मासिक विवरणी ।

सभी आरक्षी अधीक्षकों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त सभी प्रपत्रों की प्रतिलिपि विशेष दूत भेजकर महानिरीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के कार्यालय से प्राप्त कर लें तथा तात्कालिक प्रभाव से मासिक अपराध समीक्षा संशोधित प्रपत्रों में ही भेजना सुनिश्चित करें ।

यह भी निर्देश दिया जाता है कि तात्कालिक प्रभाव से मासिक अपराध समीक्षा की मूल प्रति महानिरीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पटना को प्रेषित की जाए तथा इसकी प्रतिलिपियाँ जिला पदाधिकारी, क्षेत्रीय उ० म० नि०, प्रक्षेत्रीय म० नि० तथा नि० अपराध अनुसंधान विभाग को प्रेषित की जाए ।

महानिदेशक तह आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 3621

पटना, दिनांक 25/7/98

प्रतिलिपि :- 1. सभी आरक्षी अधीक्षक (रेलवे) वि० शा/ अप० अन० वि० (सहित) सभी उ० म० नि० रेलवे, वि० शा०, अप० अन० वि० एवं अन्य इकाई सहित/ सभी आरक्षी महानिरीक्षक/ सभी अपर महानिदेशक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. म० नि० (प्रशा०) / उ० म० नि० (मु०) / उ० म० नि० (प्रशा०) / सभी स० म० नि०, बिहार, पटना / निबंधक / सभी प्रशाखा पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

स० म० नि० (कार्मिक)